Regarding need for computation of orphaned children in upcoming Census-Laid

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर **(मुम्बई उत्तर-पश्चिम) :** मैं सरकार का ध्यान हमारे देश के अनाथ बच्चों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । यह बहुत चिंता का विषय है कि आज हमारे पास देश में अनाथ बच्चों की कोई आधिकारिक संख्या ही नहीं है । हम जातिगत जनगणना कर रहे हैं,लेकिन उन बच्चों को नहीं गिन रहे हैं जिनका कोई नहीं है । UNICEF के अनुसार, भारत में लगभग 2.5 करोड़ बच्चे अनाथ हैं,जो बिना किसी सहारे के जी रहे हैं । हाल ही में,माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है । न्यायालय ने सभी राज्यों को उन अनाथ बच्चों का सर्वे करने का निर्देश दिया है, जिन्हें शिक्षा के अधिकार (Right to Education) के तहत उनका हक़ नहीं मिल रहा है । सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आग्रह किया है कि 2027 की अगली जनगणना में अनाथ बच्चों के लिए एक अलग कॉलम होना चाहिए । अतः, मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का सम्मान करते हुए, अगली जनगणना में अनाथ बच्चों की गणना को अनिवार्य रूप से शामिल करे । हमें इन बच्चों की पहचान करनी होगी ताकि उन्हें शिक्षा का अधिकार और एक सुरक्षित भविष्य मिल सके । यह हमारी नैतिक और संवैधानिक ज़िम्मेदारी है ।